FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0029 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/02/2024 14:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 07/06/2023 **Date To (दिनांक तक):** 07/06/2023

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 01:35 बजे **Time To (समय तक):** 14:07 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/02/2024 **Time (समय):** 12:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/02/2024 14:44:50 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** bus stand, pipad city, jodhpur

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ashok vishnoi

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** punaram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	1, vidhya nagar A, rto office ke piche, jodhpur, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1, vidhya nagar A, rto office ke piche, jodhpur, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8290222029

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	gordhan ram		पिता:bhavar lal	1. sursagar,jodhpur,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय निवेदन है कि परिवादी अशोक पुत्र श्री पुनाराम उम्र 29 वर्श जाति विशनोई निवासी मकान नम्बर 01 विधानगर ए, 12 नम्बर गली, 10 दुकान आर.टी.ओ. आफिस के पिछे जोधपुर ने डा दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एसयू जोधपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मेरे पिता के नाम का सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 181 व 21 ग्राम रामड़ावास कंला तहसील पीपाड़ शहर जोधपुर में आये हुए है। उक्त खेत के खातेदारान श्री भेराराम जी जो कि मेंरे पारिवारिक दादाजी लगते है जिनका देहान्त होने पर उनके विधिक वारीसान सुरजाराम वगैरा कुल 06 जनो के नाम म्यूटेशन भरवाने के लिए मै व मेरे पारिवारिक चाचाजी श्री बिरबलराम माह फरवरी 2023 में हल्का पटवारी श्री गोरधनराम से मिले तो उन्होने एक दो दिन बाद मुझे बुलाकर उक्त म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में खर्चा पानी देने की बात कही मगर मेरे चाचा द्वारा मना करने पर मैने उन्हे खर्चा पानी नही दिया जिस पर उसने फौतगी का म्यूटेशन नही भरा। माह मई में उक्त म्युटेशन बाबत पटवारी से पुनः मिला एवं खर्चा पानी देने का कहने पर दिनांक 24.05.2023 को हल्का पटवारी गोरधनराम मेघवाल द्वारा म्यूटेशन भरा गया। उक्त फौतगी का म्यूटेशन भरने के बाद उक्त खेत खसरा नम्बर 181 के अन्य खातेदारान द्वारा पारिवारिक बंटवारे के रूप में हकतर्कनामा मेरे पिता पुनाराम व अन्य परिवारजनो के नाम एवं खेत खसरा नम्बर 21 के खातेदार मेरे पिताजी पूनाराम एवं अन्य खातेदारो द्वारा पारिवारिक सदस्य श्री शकर उर्फ शकरलाल वगैरा के हक में जरिये हकतर्क म्यूटेशन दर्ज करवाने बाबत मै आज से तकरीबन 15 दिन पूर्व उक्त हकतर्कनामो के दस्तावेज लेकर पटवारी से मिला एवं हकतर्कनामों की फोटोप्रतिया पटवारी को सुपुर्द कर जरिये हकतर्कनामा म्यूटेशन दर्ज करने का निवेदन करने पर पटवारी श्री गोरधनराम ने पूर्व में फौतगी म्यूटेशन भरने की एवज में कुछ खर्चा पानी देने पर ही अब मेरा उक्त हकतर्कनामो का म्यूटेशन दर्ज करने की बात कही तथा कहा कि हकतर्कनामा का म्यूटेशन दर्ज करने की एवज में 5,000/रूपये देने पडेगे। मै श्री गोरधनराम पटवारी को मेरे जायज काम की एवज में रिशवत न देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाकर कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हू, मेरी श्री गोरधनराम पटवारी से निजी कोई दुश्मनी या लेन-देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करावे वगैरह रिपोर्ट के तथ्यों के क्रम में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अशोंक से आवश्यक पूछताछ करने पर परिवादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित सभी तथ्य सत्य होना बताये जिस पर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लेकर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अशोक का मन् निरीक्षक पुलिस से आपसी परिचय करवाकर परिवादी श्री अशोक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की गई, मय संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री अशोक के अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी से आवशयक पुछताछ कर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तत्पशचात कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अशोक व कानि. प्रकाश का आपसी परिचय करवाया गया। तथा कार्यालय की अलमारी से कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी श्री अशोक को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई। तत्पश्चात डिजीटल वायस रिकार्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपर्द कर परिवादी श्री अशोक व संदिग्ध आरोपी गोरधनराम पटवारी के मध्य रिशवति राशी मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री अशोक एवं श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को आवश्यक हिदायत देकर जरिये परिवादी की निजी कार के कार्यालय से पीपाड शहर के लिए रवाना किया गया। उसी रोज वक्त 8.15 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि0 नम्बर 265 मय परिवादी श्री अशोक के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आये और श्री प्रकाश कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को डिजीटल वाइयस टेप रिकार्डर स्विच आफ शुदा सुपर्द किया तथा श्री प्रकाश कानि. ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि में व परिवादी श्री अशोक आज दिनांक 07.06.2023 को परिवादी की कार से कार्यालय से रवाना होकर पीपाड शहर पहुचें जहा पर कार को रूकवाकर मैनें वक्त 04:07 पीएम पर परिवादी श्री अशोक से आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी की उपस्थिति के बारे में मालुम करने हेतु परिवादी श्री अशोक के मोबाईल नम्बर 8290222029 से आरोपी श्री गोरधनराम

पटवारी के मोबाईल नम्बर 6375935893 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवाई उक्त वार्ता को डिजीटल वायस टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी की उपस्थिति के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी ने कहा कि मै पीपाड मे हुँ, आ जाओ तथा साथ ही कहा कि मै इन्तजार कर रहा हु। जिस पर मै व परिवादी वहा से रवाना होकर पीपाड शहर के साथिन चैराहा तहसील कार्यालय के पास पहुचें जहां पर मैने परिवादी अशोक से गोपनीय रूप से संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति के बारे में पता कराने पर परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से पता कर मुझे बताया कि श्री गोरधनराम पटवारी बस स्टेण्ड पर एटीएम के पास चाय के ढाबे पर बैठा है जिस पर मैं व परिवादी अशोक वहां से रवाना होकर बस स्टेण्ड से थोडा पहले कार रोककर मैनें परिवादी श्री अशोक को डिजीटल वायस रिकार्डर आन कर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु बस स्टेण्ड की ओर एटीएम के पास चाय के ढाबे की तरफ पैदल ही रवाना किया तथा मैं परिवादी की कार मे ही बैठा रहकर परिवादी के वापस आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पशचात परिवादी श्री अशोक मेरे पास उपस्थित आया व डिजीटल वायस रिकार्डर चालु हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने स्विच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व परिवादी ने मुझे बताया कि रिशवती राशी मांग सत्यापन हो गया है। उसके बाद हम दोनों वहां से परिवादी की कार से रवाना होकर कार्यालय आये है। तथा परिवादी श्री अशोक ने भी मन् निरीक्षक पुलिस को कानि. प्रकाश द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरी श्री गोरधनराम, पटवारी से मेरे पारिवारिक दादाजी के वारिशान सूरजाराम वगैरह के नाम फौतगी एवं मेरे पिता जी श्री पूनाराम के नाम हकतर्क के म्यूटेशन भरवाने की वार्ता हुई दौराने वार्ता पटवारी जी ने मेरे पारिवारिक दादाजी के वारिशान की जमीन का फौतगी म्यूटेशन भरने एवं मेरे पिता जी के नाम हकतर्क के म्यूटेशन भरने की एवज में श्री गोरधनराम पटवारी जी ने मेरे से साढे पांच हजार रूपये की मांग की है उक्त रिश्वति राशि लेकर मुझे कल आने के लिए कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर आन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी अशोक द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई तथा आरोपी गोरधनराम पटवारी द्वारा परिवादी अशोक से पूछा गया कि "लेकर आया तथा अन्य वार्ता करने के पश्चात परिवादी द्वारा आरोपी से अपने काम की एवज में कुल कितनी राशि देने के बारे में पूछने पर आरोपी द्वारा कहा गया कि "आप तो आपका आपका दे दो " जिस पर परिवादी द्वारा कहा गया कि आप तो बता दो कितना होगा क्योकि राशि करनी तो पड़ेगी जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि "लगभग पांच हजार - पच्चपन सौ रूपये देने पड़ेगे जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी से पूछा गया कि पुनः कब मिलोगे तो आरोपी द्वारा कहा गया कि " आज फिर पैसे वैसे कुछ नही होगे तब परिवादी द्वारा कहा गया कि आज तो मै कुछ नही लाया हू, तब आरोपी द्वारा कहा गया कि " मैने तो आज आस लगा रखी थी कि आप आज तो दोगे, कुछ तो खर्चे वाले देकर जाओ तब परिवादी द्वारा अभी राशि नही होने की बात कहते हुये कल राशि करने की बात कही जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि " आप मुझे पच्चपन सौ दे देना मैं फोन नही करूगा, ठीक है, इस प्रकार परिवादी द्वारा बताये तथ्यों एवं रिकार्ड वार्ता से आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी द्वारा परिवादी अशोक से उसके काम की एवज में रिश्वत राशि मांगने की पूर्णतया पुष्टि हुई। जिस पर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वायस रिकार्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी द्वारा तय की गई रिश्वती राशि 5,500/रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 08.06.2023 को 10 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु परिवादी श्री अशोक को निर्देशित कर एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 08.06.2023 वक्त 10.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अशोक कार्यालय हाजा में उपस्थित आया व मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 5,500/रूपये की व्यवस्था कर साथ में लेकर आया हूँ। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर के नाम पत्र क्रमांक 786 दिनांक 08.06.2023 जारी कर कार्यालय के श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 को सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 10.40 ए.एम पर श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर से दो कार्मिकों को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों कार्मिकों को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री रईश कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति मेघवाल उम्र 23 साल निवासी ग्राम पोस्ट गुगा तहसील शिव जिला बाडमेर हाल निजी सहायक कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर एवं श्री नवीन तिगाया पुत्र श्री कैलाश तिगाया जाति जटिया उम्र 32 साल निवासी संत रविदास नगर भदवासिया जोधपुर हाल कनिष्ट मानचित्रकार कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री अशोक का आपसी परिचय दोनों कार्मिकों से करवाया गया एवं परिवादी अशोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी अशोक व आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी के मध्य दिनांक 07.06.2023 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनवाये गये। जिस पर उक्त

दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी। जिस पर श्री अशोक की रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के दिनांकित हस्ताक्षर कर एवं रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेज पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 10.50 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रईश कुमार व श्री नवीन तिगाया के रू-ब-रू परिवादी श्री अशोक से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी को रिश्वति में दी जाने वाली राशि 5,500/-रूपये पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री अशोक ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपयें के 11 नोट कुल राशि 5,500 रूपये पेश किये। परिवादी श्री अशोक द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेश कशी में अंकित करवाये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-(1) 500 रूपये का एक नोट नम्बर KF 539233, (2) 500 रूपये का एक नोट नम्बर1 HW 699365, (3) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 DQ 843430, (4) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 AL363924, (5) 500 रूपये का एक नोट नम्बर1 DE 881453, (6)

500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 HA427105, (7) 500 रूपये का एक नोट नम्बर8 HA 427106, (8) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 LD 624308, (9) 500 रूपये का एक नोट नम्बर2 GP 840664, (10) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 QP 728373, (11) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 TD 950970 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई एवं उक्त 5,500/-रूपये के नोटो को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखवाकर नोटो पर श्रीमती सुशीला महिला कानि से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अशोक की जामा तलाशी गवाह श्री नवीन तिगाया से लिवाई जाकर एक मोबाईल फोन परिवादी श्री अशोक के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5,500/-रूपये जो आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी पटवार मण्डल रामडावास कल्ला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री अशोक के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अशोक को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। टेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414169480 पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात श्रीमती सुशीला महिला कानि. से नियमानुसार दृष्टान्त दिलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी अशोक को छोड़कर समस्त ब्यूरो स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये । कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि व द्रश्टान्त फिनाफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बानेट पाउडर अलग से मुर्तिब कर संबंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा श्रीमती सुशीला महिला कानि. को कार्यवाही से प्रथक कर कार्यालय में रहने की हिदायत की गई। इसके बाद वक्त 11.40 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री रईश कुमार व श्री नवीन तिगाया मय परिवादी श्री अशोक व ब्यूरो स्टाफ श्री अयूब खां, श्री रामकिशोर हैड कानि. नम्बर 56, श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432, प्रकाश कानि. नं. 265 मय कार्यालय हाजा का वाइस रिकार्डर, लेपटोप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा, व परिवादी के निजी वाहन मय चालक खम्माराम नं. 356 के कार्यालय से पीपाड शहर की तरफ रवाना होकर वक्त 12.50 पी.एम पर पीपाड शहर के पास पहुचें जहां पर वाहनो को गोपनीय स्थान पर खड़े करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अशोक से आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी का पटवार कार्यालय पीपाड शहर में होने का गोपनीय रूप से पता करवाया तो परिवादी श्री अशोक ने गोपनीय रूप से पता कर बताया कि आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी बाहर गया हुआ है जो घण्टे-डेढ घण्टे बाद पटवार कार्यालय पीपाड शहर में आयेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के आरोपी के अपने कार्यालय में आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। कुछ समय पश्चात पुनः मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अशोक से आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी का पटवार कार्यालय पीपाड शहर में होने का गोपनीय रूप से पता करवाया तो परिवादी श्री अशोक ने गोपनीय रूप से पता कर बताया कि आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी आज अपने कार्यालय में नहीं आये है पटवारी जी चार-पांच दिन के लिए बाहर गये हुए है जिस पर उस रोज टेप कार्यवाही संम्भव नहीं होने से आईन्दा आरोपी के आने पर ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर समय 03:15 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय परिवादी ब्यूरो स्टाफ मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वाइस टेप रिकार्डर, लेपटाप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के जरिये सरकारी वाहन टवेरा, परिवादी के निजी वाहन मय चालको के पीपाड शहर के बाहर से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर वक्त 04:30 पीएम पर उपस्थित आये। परिवादी श्री अशोक के जिन्स पेन्ट की आगे की

5,500/रूपये को गवाह श्री नवीन तिगाया से निकलवाकर उक्त रिश्वती राशि 5,500/रूपये को एक सफेद लिफाफे में डलवाकर रिश्वती राशि 5,500/रूपये के सफेद लिफाफा मय डिजिटल वाइस टेप रिकार्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखकर अलमारी के ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी। परिवादी अशोक को आरोपी से सम्पर्क होने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को सुचित कराने एवं तुरन्त कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री रईश कुमार व श्री नवीन तिगाया को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की एवं मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बुलाने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 21.06.2023 वक्त 01.30 पी. एम. पर परिवादी श्री अशोक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि मेरे द्वारा श्री गोरधनराम पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास कल्ला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के विरूद्ध रिश्वती राशि मांगने की शिकायत ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाने बाबत श्री गोरधनराम पटवारी को रिश्वती में दी जाने वाली राशि 5,500/-रूपये दिनांक 08.06.2023 को श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को पेश की थी। मगर श्री गोरधनराम पटवारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण एवं मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने या शक हो जाने के कारण मेरे प्रयास करने के बावजुद भी मेंरे से सम्पर्क नही कर रहा है इसलिए श्री गोरधनराम पटवारी मेरे से अब रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। अतः मेरी राशि 5,500/-रूपये लौटाने की कृपा करावे। जिस पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी अशोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पृष्टाकन कर मन् निरीक्षक पुलिस को आवशयक निर्देशो के साथ सुपूर्द की। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अशोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक पूछताछ करने पर परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित उपरोक्त तथ्य ही बताते हुए उनके द्वारा पेश की गयी राशि 5,500/- रूपये लौटाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार अब अग्रिम टेप कार्यवाही संभव नही होने के कारण परिवादी को उनकी राशि लौटाने का निर्णय लेकर जरिये फोन दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री रईश कुमार निजी सहायक एवं श्री नवीन तिगाया कनिष्ठ मानचित्रकार कार्यालय खनि.अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग जोधपुर की तलबी की गयी। वक्त 01:45 पी.एम. पर तलबीशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रईश कुमार एवं श्री नवीन तिगाया कार्यालय हाजा उपस्थित आये। जिस पर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी अशोक द्वारा आज दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कराकर आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास कल्ला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर को उनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का शक हो जानें एवं आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण अब अग्रीम कार्यवाही सम्भव नहीं होने बाबत् अवगत कराया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी अशोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो गवाहान से हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री रईश कुमार व श्री नवीन तिगाया की उपस्थिति में परिवादी श्री अशोक एवं आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास कल्ला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 07.06.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन टेलिफोनिक/रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर आपरेटर श्री देवाराम कानि. नं 373 से कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री अशोक के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन टेलिफोनिक/रूबरू वार्तालाप तैयार की जाकर, फर्द पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री अशोक ने अपनी व श्री गोरधनराम पटवारी की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की जाकर एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि.नम्बर 63 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात परिवादी अशोक की लिखित रिपोर्ट के सन्दर्भ में परिवादी द्वारा पेश की गई ट्रेप राशि 5,5,00/-रूपये जो सफेद लिफाफे में मेरी अभिरक्षा में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालात में रखी हुई है उक्त लिफाफे को स्वतंत्र गवाह श्री नवीन तिगाया से कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर लिफाफे से 5,5,00/-रूपये निकलवाकर झटकाकर फिनोफथलीन पाउडर से मुक्त करवाकर उक्त राशि 5,500/-रूपये स्वतंत्र गवाह श्री नवीन तिगाया से गिनवाकर परिवादी श्री अशोक को सुपुर्द की जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास कल्ला द्वारा वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 7.06.2023 के दौरान परिवादी श्री अशोक के पारिवारिक दादाजी के वारिशान सूरजाराम वगैरह के नाम फौतगी एवं परिवादी अशोक के पिता जी श्री पूनाराम के नाम हकतर्क के म्यूटेशन भरने की एवज में श्री गोरधनराम पटवारी ने परिवादी श्री अशोक से साढे पांच हजार रूपये की मांग की है वार्ता के दौरान आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी द्वारा परिवादी अशोक से पूछा गया कि ”

लेकर आया तथा अन्य वार्ता करने के पश्चात परिवादी द्वारा आरोपी से अपने काम की एवज में कुल कितनी राशि देने के बारे में पूछने पर आरोपी द्वारा कहा गया कि ''आप तो आपका आपका दे दो '' जिस पर परिवादी द्वारा कहा गया कि आप बता दो कितना होगा क्योकि राशि करनी तो पड़ेगी जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि ''लगभग पांच हजार - पच्चपन सौ रूपये देने पड़ेगे'' जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी से पूछा गया कि पुनः कब मिलोगे तो आरोपी द्वारा कहा गया कि '' आज फिर पैसे वैसे कुछ नही होगे' तब परिवादी द्वारा कहा गया कि आज तो मै कुछ नही लाया हू तब आरोपी द्वारा कहा गया कि '' मैने तो आज आस लगा रखी थी कि आप आज तो दोगे, कुछ तो खर्चे वाले देकर जाओ' तब परिवादी द्वारा अभी राशि नही होने की बात कहते हुये कल राशि करने की बात कही जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि '' आप मुझे पच्चपन सौ दे देना मैं फोन नही करूगा, ठीक है'इस प्रकार परिवादी अशोक से आरोपी श्री गोरधनराम पटवारी द्वारा उसके जायज काम की एवज में रिश्वत राशि स्पष्ट रूप से मांगकर आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री गोरधनराम पुत्र भंवरलाल आयु 34 साल निवासी लक्ष्मण घाटी भूरन्टिया सूरसागर जोधपुर जिला जोधपुर तत्कालिन पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास हाल पटवार मण्डल खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (राजेन्द्रसिंह)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधकस्पेशल यूनिट जोधपुर........कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0 जोधपुर, के द्वारा जरिये ईमेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ;(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गोरधनराम पुत्र भंवरलाल उम्र 34 तत्कालिन पटवारी पटवार मण्डल रामड़ावास हाल पटवार मंडल खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर गा्रमीण को सुपुर्द कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट संख्या 220 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक -प्रशासन ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः. 143-146 दिनांकः 15.02.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर -प्रथम। 2उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 3जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर गा्रमीण। 4अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0जोधपुर । एस0डी0 (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक -प्रशासन ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** annu chodhary **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/02/2024 14:48:35

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)